भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2318

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा में विदेशी भागीदारी

†2318. श्री राजीव रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विदेशी कंपनियों या विदेशी संस्थानों को देश में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल स्थापित करने या संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है या पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो नीतिगत ढांचा, पात्रता मानदंड और ऐसे संस्थानों के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मानकों और स्वास्थ्य देखभाल लागतों, विशेषकर ऐसे कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए लिए जाने वाले शुल्क, पर ऐसे संस्थानों के संभावित प्रभाव की जांच की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी स्वामित्व वाले या विदेश-प्रबंधित चिकित्सा संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा प्रभारित उपचार शुल्क, परामर्श शुल्क और प्रक्रिया लागतों को विनियमित या सीमित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रोगियों को अत्यधिक या सामर्थ्य से परे स्वास्थ्य देखभाल लागतों से बचाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा तैयार किए गए नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023, में नए चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें पात्र संस्थाओं की श्रेणियां, निर्धारित पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, मूल्यांकन एवं रेटिंग की प्रक्रियाएं और गैर-

अनुपालन के मामलों में लागू होने वाली शास्तियों का उल्लेख किया गया है। इन विनियमों के अनुसार, निम्नलिखित इकाइयां नए चिकित्सा संस्था की स्थापना के लिए आवेदन करने की पात्र हैं:

क. केंद्र सरकार; या

ख. राज्य सरकार या राज्य सरकारों की भागीदारी में; या

ग. संघ राज्य क्षेत्र; या

घ. भारत में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय; या

ङ. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी क़ानून द्वारा अथवा कानून के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय, जिसके चिकित्सा संस्था की स्थापना करने से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में कोई टकराव न हो; या

च. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या संबंधित राज्य में सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन के लिए बनाए गए किसी संबंधित क़ानून के तहत पंजीकृत सोसायटी; आदि।

इसके अलावा, संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, और निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक शुल्कों की निगरानी करना और ऐसे मामलों का समाधान करना तथा ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) लागू किया है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं, ताकि रोगियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराई जा सके।
